राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(313)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांकः 18 NOV 2014

सचिव,
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर।

विषयः– अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर पेश प्रकरणों में पट्टा जारी करने के मार्गदर्शन के सबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक भू.आ./2014/522 दिनांक 10.10.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा चाहे गए बिन्दुओं पर निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करने का श्रम करें :–

क्र.सं.	मार्गदर्शन का बिन्दु	टिप्पणी
1.	जो प्रकरण 17.06.99 से पूर्व के कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसी हुई कॉलोनियों के हैं और क्रेता ने 1999 से पूर्व के इकरारनामे से क्रय है क्या उनका भी मुद्रांकित करवाया जाना आवश्यक है अथवा नहीं ?	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए(8) व राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 16 में स्पष्ट प्रावधान अंकित हैं। तदनुसार कार्यवाही सम्पादित करावें।
2.	जो प्रकरण 17.6.99 के बाद कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनी हुई कॉलोनियों के हैं, क्या उनका ले–आउट प्लान अनुमोदन 17.6.99 से पूर्व बसी कॉलोनीयों की तरह बिना अनुपात अगर अब पूर्ण करने हेतु तैयार हो तो क्या किया जा सकता है ?	दिनांक 17.6.99 के बाद की कॉलोनियों हेतु 17.6.99 से पूर्व के मापदण्ड माने नहीं जा सकते हैं।
3.	जो प्रकरण 17.6.99 के बाद कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसी हुई कॉलोनीयों के हैं, क्या उनका ले–आउट प्लान अनुमोदन अभियान की तरह 70–30 का अनुपात अगर अब पूर्ण करने हेतु तैयार हो तो क्या ऐसा किया जा सकता है?	अभियान में 17.6.99 के बाद की कॉलोनियों के नियमन हेतु विविध शिथिलताएं प्रदान की गई थी, जो अब नहीं है। अतः वर्तमान में प्रचलित नियमों के आधार पर ही कार्यवाही की जावे।
4.	छूट अवधि समाप्त होने के बाद क्या रजिस्टर्ड दस्तावेज के बिना हुए बेचान अर्थात 100 रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर हुए बेचान की चैन के हाधार पर बिना दस्तावेज पंजीकृत/मुद्रांकित करवाये पट्टा जारी किया जा सकता है ? इस तरह के प्रकरणों में दिनांक 17.6.99 से पूर्व एवं बाद में बसी दोनों तरह की कॉलोनियों के केस है	दिनांक 17.6.99 से पूर्व की कॉलोनियों में 17.6.99 से पूर्व के अपंजीकृत दस्तावेज को आधार माना जा सकता है परन्तु दिनांक 17.6.99 के बाद के प्रकरणों में अपंजीकृत/अमुद्रांकित दस्तावेज मान्य नहीं हैं।
5.	क्या अपंजीकृत दस्तावेज से पट्टा जारी करने हुए राज्य सरकार द्वारा कोई कट आफ डेट आज भी नियत है ?	अपंजीकृत दस्तावेजों के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 26.05.2000 के अनुसार कार्यवाही करें।
6.	जिन प्रकरणों में ले–आउट प्लान पास है एवं 90–ए/बी की कार्यवाही भी की जा चुकी है क्या ऐसे प्रकरणों में स्वामित्व दस्तावेज का अब मुद्रांकित/पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है ?	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(बी) जिन प्रकरणों में हो चुकी है। उनमें 90–बी के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करें। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत बिना पंजीकृत दस्तावेज के कार्यवाही किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
7.	जिन स्थानों पर वर्तमान में अवैध निर्माण आंशिक रूप से हो चुके हैं, क्या ऐसे प्रकरणों में अब सुओमोटो ले–आउट प्लान तैयार करना, पास करना, सुओमोटो 90'ए कार्यवाही करना संभव है, अथवा अवैध निर्माण हटाने या धारा 177 (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) की कार्यवाही की जावे	इस हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ए)(5) अनुसार कार्यवाही की जावे।

क्रमशः ....

प्रशासन शहरों के अभियान के तहत जारी किये गये परिपत्र अब प्रभावशील नहीं है। अतः सामान्य प्रचलित नियमों के तहत अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जावे। विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देश विभागीय बेबसाईट (www.udh.rajasthan.gov.in) पर अपलोड कर दिये जाते हैं, तथापि किसी बिन्दु विशेष पर मार्गदर्शन अपेक्षित हो तो विभाग से पत्राचार किया जा सकता है।

भवदीय,

(जगजीत सिंह मोंगा)
शासन उप सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं उप शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को बेबस।ईट पर अपलोड किये जाने बाबत्।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव–द्वितीय
17/11